राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

क्रमांकःआई.पी.आई.(अ.) / 1795 / 2023 / 780
दिनांकः 05/08/2026

कार्यालय आदेश

विषयः– रीको द्वारा खातेदारों / हितबद्ध व्यक्तियों को उनकी भूमि के नगद मुआवजे के एवज में आवंटन की जाने वाली विकसित भूमि के संबंध में जारी नवीनतम नीति दिनांक 03.12.2025 में स्पष्टीकरण / आंशिक संशोधन।

रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना / विस्तार हेतू अवाप्त की गयी निजी खातेदारी भूमि के संबंधित खातेदारों / हितबद्ध व्यक्तियों को उनकी अवाप्त भूमि के नगद मुआवजे के एवज में आवंटन की जाने वाली विकसित भूमि के संबंध में एक विस्तृत नीति रीको के निदेशक मण्डल के पारित प्रस्ताव एवं तदोपरान्त राज्य सरकार से दिनांक 25.11.2025 को प्राप्त अनुमोदन के दिनांक 03.12.2025 को जारी की गई (**संलग्नक–1**)।

उक्त जारी की गयी नीति के तहत खातेदारों / हितबद्ध व्यक्तियों से लिखित विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि वर्णित है लेकिन नीति जारी होने के उपरान्त यह पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिये अवाप्त भूमि के कुछ खातेदारों / हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा नियत समयावधि के उपरान्त भी अपने विकल्प / आवेदन रीको में प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिसका प्रमुख कारण नयी नीति की समय पर जानकारी आदि हैं। उक्त आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा उपरान्त उक्त 03.12.2025 की नीति में स्पष्टीकरण / आंशिक संशोधन वांछित होने पर संशोधन हेतु एक प्रस्ताव रीको के निदेशक मण्डल की दिनांक 07.07.2026 में रखा गया। निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रस्ताव को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया जिसका सशर्त अनुमोदन राज्य सरकार से जरिये पत्र दिनांक 31.07.2026 प्राप्त हो गया है जिसके आधार पर पूर्व में जारी नीति दिनांक 03.12.2025 में निम्न संशोधन / स्पष्टीकरण एतद् आदेश द्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैः

क्र. सं.	दिनांक 03.12.2025 को जारी नीति में प्रावधान	जारी स्पष्टीकरण / आंशिक संशोधन
1.	इस नीति के तहत विकसित भूमि का आवंटन भूमि के संबंध में भूमि अवाप्ति अधिकारी (कलक्टर) द्वारा जारी अवार्ड में निर्धारित समयावधि अथवा 3 माह, जो भी अधिक हो, में अथवा सक्षम स्तर पर बढ़ाई गई समयावधि में अपना लिखित विकल्प प्रस्तुत करने वाले खातेदारों / गैर खातेदारों / हितबद्ध को किया जा सकेगा **(बिन्दु संख्या–2)**।	नवीनतम नीति में निर्धारित 3 माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात् खातेदारों / हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के निस्तारण एवं नवीन आवेदन प्राप्त करने हेतु **आगामी तीन महीने का सामान्य समयावधि विस्तार** किया जाता है।
2.	इस नीति के तहत उन खातेदारों / हितबद्ध व्यक्तियों को उनकी अवाप्तशुदा भूमि के नकद मुआवजे के एवज में विकसित भूमि आवंटित हो सकेगी जिनके द्वारा अपनी अवाप्तशुदा भूमि का	यहा यह उल्लेखनीय है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिकांश प्रकरणों में पेपर पजेशन रीको को सौंप दिया गया लेकिन खातेदारों / हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा मौके पर

Signature valid
Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: ADVISOR PERS AND SPECIAL PROJECT
Date: 2026.08.05 20:23:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23818854
M e-Sign

	नकद मुआवजा जारी अवार्ड के अनुसार नहीं प्राप्त किया है एवं ऐसी अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा उनके पास ही है, रीको (अपेक्षक निकाय) को नहीं सौंपा है **(बिन्दु संख्या–1)**।	भौतिक कब्जा रीको को नहीं सौंपा गया है। अतः उक्त नीति ऐसे प्रकरणों में लागू होगी जहां खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा नकद मुआवजा प्राप्त नहीं किया गया है एवं अधिग्रहित भूमि का **'भौतिक कब्जा'** रीको को नहीं सौंपा गया है।
3.	यदि किसी खातेदार/हितबद्ध व्यक्ति की अवाप्तशुदा भूमि के नकद मुआवजे के एवज में मिलने वाली विकसित भूमि का क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर से कम आता है, तो ऐसी स्थिति में उसे विकसित भूमि के स्थान पर नकद मुआवजा ही देय होगा **(बिन्दु संख्या–12)**।	रीको द्वारा औद्योगिक, आवासीय, व्यावसायिक अलग–अलग नाप के भूखण्ड नियोजित किए जाते हैं, अतः मौजूदा न्यूनतम 50 वर्ग मीटर के भूखण्डों के पात्रता मानदंड के स्थान पर उक्त नीति में औद्योगिक–250 वर्ग मीटर, आवासीय–50 वर्ग मीटर और व्यावसायिक–13.50 वर्ग मीटर से कम विकसित भूमि होने पर, नगद मुआवजे का प्रावधान किया जाता है।

अतः रीको द्वारा खातेदारों/हितबद्ध व्यक्तियों को उनकी भूमि के नगद मुआवजे के एवज में आवंटन की जाने वाली विकसित भूमि के संबंध में नवीन नीति दिनांक 03.12.2025 में उपरोक्तानुसार जारी स्पष्टीकरण/आंशिक संशोधन अनुसार लम्बित प्रकरणों में तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा दिनांक 03.12.2025 की नीति में किये गये उक्त संशोधनों के परिप्रेक्ष्य में इसकी जानकारी संबंधित व्यक्तियों तक पहुँचायी जाये ताकि बढायी गयी अवधि में इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकें एवं पुनः अवधि बढाने की कार्यवाही नहीं करनी पडे।

(निमिषा गुप्ता)
सलाहकार (इन्फ्रा)

प्रतिलिपिः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक रीको
2. निजी सचिव, अधिशाषी निदेशक, रीको
3. वरिष्ठ निजी सचिव, सलाहकार(इन्फ्रा)
4. वरिष्ठ निजी सचिव, सलाहकार (एएण्डएम)
5. विशेषाधिकारी (भूमि), रीको
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी, रीको/डीएमआईसी
7. मुख्य महाप्रबन्धक(एसईजेड/बीपी/पीआर/आईटी)
8. महाप्रबन्धक (सिविल/ईएम)
9. वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक(विधि)
10. वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक(पीएण्डडी/एमएण्डसी)
11. वरिष्ठ उपमहाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (वित्त)
12. उप महाप्रबन्धक(विधि) विशेषाधिकारी (भूमि) प्रकोष्ठ
13. उप महाप्रबन्धक (आईटी)–वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. समस्त इकाई प्रभारी

प्रतिलिपि निम्न को भीः–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, अध्यक्ष, रीको को सूचनार्थ।

Signature valid
Digitally signed by Nimisha Gupta
Designation: ADVISOR PERS AND SPECIAL PROJECT
Date: 2026.08.05 20:23:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 23818854
M e-Sign